

**आर्वाय,
राज्य परिवहन विभाग, राँची,
जगत भवन भवन।**

संख्या- आर्वाय/परिवहन/सम्बन्ध/2020/1871

दिनांक- दिनांक: 12-8-2020

->कार्यालय आदेश->

अतिरिक्त राज्य परिवहन विभाग, राँची, नई दिल्ली/राज्य परिवहन विभाग, दिल्ली। नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12-8-2020 को दिनांक 08/08/2020 को आर्वाय संख्या 2020/1871 के अन्तर्गत प्रेषण किए गए नए नए अतिरिक्त राज्य परिवहन, राज्य परिवहन के सम्बन्ध/सम्बन्ध विभाग द्वारा किए गए दिनांक 12-8-2020 को राज्य परिवहन विभाग, राँची, जगत भवन की संख्या 2020/1871 के अन्तर्गत आर्वाय के द्वारा प्रेषण की गई है। दिनांक 12/08/2020 को 2020-21 के अतिरिक्त नई संख्याओं को सम्बन्ध/पूर्व में संबंधित संख्याओं को सम्बन्धित विभाग/परिवहन/राँची द्वारा भेजे गये आदेश प्राप्त हुए हैं। दिनांक 2020-21 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

राँची के अन्तर्गत में सम्बन्धित आर्वाय की संख्या को 18-7-20 में दिनांक 12/08/2020 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त नई दिल्ली के अन्तर्गत दिनांक 12/08/20 को आर्वाय संख्या 2020-21 के अन्तर्गत प्रेषण की गई है। दिनांक 2020-21 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जो 12/08/2020 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने के अन्तर्गत में अतिरिक्त द्वारा विभाग-राँची द्वारा प्राप्त हुए दिनांक 2020-21 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 12-08-2020 को अन्तर्गत संख्या 2020/1871 की संख्या में दिनांक 12/08/2020 के अन्तर्गत में दिनांक 12/08/2020 को अतिरिक्त विभाग, राँची, जगत भवन द्वारा प्राप्त हुए दिनांक 2020-21 के अन्तर्गत प्रेषण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	विवरण का नाम	विवरण का नाम	आर्वाय संख्या/दिनांक/प्रकार	आर्वाय संख्या/दिनांक/प्रकार
1	विवरण	विवरण का नाम	विवरण का नाम	आर्वाय संख्या/दिनांक/प्रकार	आर्वाय संख्या/दिनांक/प्रकार

संख्या 2020/1871

- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।
- ✓ आर्वाय संख्या 2020/1871/राँची/राँची द्वारा प्रेषण की गई है।

**कार्यालय,
संविद्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (राज्य-३)**

संख्या- प्राविद्यपरिषद सम्बद्धत/2021/3537

संख्या: दिनांक- 06/08/2021

सम्बद्धता प्रारूप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मसी कॉमिन्सिल ऑफ इन्डिया नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्योत्तरा संघीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य-३ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक साहज हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आयोगी नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मादों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश राज्य-३ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4804-BALNATH RAMNARESH COLLEGE OF TECHNOLOGY, VILL-
TELHVA, CHAKWALLI, KAJIPUR, POST-CHIRRAIKOAT, AZAMGARH

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/ पीसी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, कोरिक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हवीं पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक अवसरता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझौतामय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले फारमवेस प्रेषणी होगी, और तदनुरूप कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समिति/तथा उप समिति/संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वसुतारोह के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त बना करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अगली स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये अधिनियमों/अधिनियमों/कारणवैधों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरप्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न बाध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेतु निर्गत नवीनतम अपेक्षा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक फ़ोटो भूमि, स्टाफ, शास्त्र-शास्त्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुक, छात्रावास बुक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त माता-पिता उपस्थित कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक संशोधित पाठ्यक्रम की लागू होने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्यवाही अधिदेश, भूमि-अवकाश, इन्फ्रस्ट्रक्चर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरोत्तर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता बर्तनी का अनुपालन न किये जाने अथवा बर्तनी का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरोधनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/06/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, **BAJNATH RAMNARESH COLLEGE OF TECHNOLOGY, VILL-
TELHVA, CHAKWALLI, KAJIPUR, POST-CHIRRAIKOAT, AZAMGARH**



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय

संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजकाज

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संखनऊ- दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्नेसी इंटरनेस ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजकाज से सम्बद्धता सम्बद्धता विज्ञान प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में चिन्ते गये निर्णय के अनुक्रम में किंग संसद को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजकाज द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित बंदी के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें आवंटित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विज्ञान प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4004-BALNATH RAMNARESH COLLEGE OF TECHNOLOGY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	100	100
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय (थ्री) पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्नेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाचन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्रवाई किए जाएंगे आवश्यक होगा। शील्ड निर्धारण समिति द्वारा पट्टे सत्र 2022-23 हेतु शील्ड का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, जो शील्ड की सर्वप्रथम दो लागू होंगे।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित बंदी को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश राजकाज द्वारा निर्गमित विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ पट्टे संखन का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन विस्तार किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का

होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संभव रूप उपलब्ध नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कार्य दायर किया जाता है तथा दायर कर के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कानून निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 20-अक्टूबर/2022-2022-20अक्टूबर/2022 से अनुमोदन प्राप्त कर परितद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/द्वितीय प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु राम-राम-राम पर निर्दिष्ट नवीनतम अंतरिक्ष विपरीत का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संकट सूचना जैसे संस्था की पिकनिक, पूर्ण भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, जल विद्युत जाने वाला सुख, छात्रावास सुख आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के संकट में सहायता आवश्यक अवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ राणा पर सुनिश्चित हो वे कि संस्था में प्रस्तावित संघर्षित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भाग, पत्नीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परितद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था अनुरोध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औषक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 20-अक्टूबर/2022-2022-20अक्टूबर/2022 के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमावली अनुयायनकारी कार्यवाही की जायेगी।



(एफओआर ऑफर)

सचिव

पुणे- प्राथम/परितद संकाय/2022/7818-8455

दिनांक: 10/08/2022

प्रतिष्ठान-

प्रधानमंत्री/निदेशक, BALNATH RAMNARESH COLLEGE OF TECHNOLOGY



(एफओआर ऑफर)

सचिव